उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या-122/78-1-2018-127/2012

लखनऊ: दिनांक: २९ जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2016" को अवक्रमित करती है।

2- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" के बिन्दु -.8........ में व्यवस्था है कि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) गठित की जायेगी। नीति कार्यान्वयन इकाई में बाहर से लिये गये परामर्शी (Consultants on outsourcing basis) होंगे जो 5 वर्षों की अवधि तक, सूचना प्रौद्योगिकी नीति एवं स्टार्ट-अप नीति के कार्यान्वयन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई समिति तथा सशक्त समिति (Empowered Committee) को गतिविधियों के अनुश्रवण एवं उनकी जानकारी देने में सहायता करेंगे।

3- उक्त नीति के कार्यान्वयन हेतु गठित नीति कार्यान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit) की प्रमुख गतिविधियां (Key-Activities) निम्नवत् होंगी:-

- सम्भावित निवेशकों हेतु एस्कार्ट सेवायें (Escort Services to potential investors)।
- समस्त सूचना प्रौद्योगिकी निवेश/प्रस्तावों तथा परियोजना प्रस्तावकों हेतु एकल सम्पर्क स्रोत (Single Point of Contact)।
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 का विपणन (marketing)।
- सम्भावित निवेशकों को सहायोग/सहायता, शासकीय प्राधिकारियों से समन्वयन (Liaison)।
- एकल खिड़की निस्तारण (Single Window Clearance) व्यवस्था का कार्यान्वयन।
- नीति कार्यान्वयन योजना में सहायता।
- उद्योगों तथा उद्योग-संघों से सम्बद्धता (Engagement with Industries and Industry Associations)।
- सशक्त समिति (Empowered Committee)) के लिए डैशबोर्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का विकास।
- यथा-आवश्यकता, कार्यों की आउटसोर्सिंग/प्रतिनियुक्ति पर निर्णय।

4- उक्त नीति में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन जैसे कि स्टार्ट-अप्स, इन्क्यूबेटर्स, वेन्चर कैपिटलिस्ट्स, स्टार्ट-अप कार्पस फण्ड, सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों के बारे में निर्णय हेतु अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में नीति कार्यान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit) का निम्नवत् गठन किया जाता है:-

1	अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव /सचिव, वाणिज्य कर विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव /सचिव, स्टाम्प एवं राजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

4 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य

5 अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य

6 अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य

7 अपर मुख्य सचिव /प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य

8 विशेष सचिव, आईटी एवं एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन — सदस्य

9 प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल द्वारा नामित प्रतिनिधि। — सदस्य

10 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी। — सदस्य सचिव

5- नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयों/इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों/उत्कृष्टता केन्द्रों को प्रोत्साहन अनुमन्य किये जाने हेतु संस्तुति एवं अनुमोदन प्रदान किये जायेंगे। उनकी शिकायतों का सामयिक निराकरण तथा आवश्यक मार्गदशन एवं सहयोग भी प्रदान किया जायेगा। शिकायत का समाधान यदि नीति कार्यान्वन इकाई के स्तर पर नहीं हो पाता है तो उसे मुख्य सचिव महोकदय की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। स्वीकृतियों की आवधिक समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर पर की जायेगी।

6- यूपीएलसी द्वारा उपरोक्त कार्यकलापों हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कराकर शासन के अनुमोदनोपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

7- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप सँख्या 843/78-1-2016-25/2012टीसी-1 दिनांक 14 जुलाई 2016 को एतद्द्वारा अवक्रमित किया जाता है।

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-122(1)/78-1-2018 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- समिति के समस्त सदस्यगण।

3- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- निजी सचिव, विशेष सचिव(ए/एम), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह प्रकरण में समिति की बैठक आहूत करने एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज बहादुर)
उप सचिव।

29-01-18